राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प0 3(3)साप्र/6/2008 जयपुर, दिनांक 28.2.2014

:– अधिसूचना :–

राजस्थान की राज्यपाल महोदया उन समस्त शक्तियों का जो उन्हें इस निमित सक्षम बनाती है का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.6.2009 को निरस्त करते हुए राजस्थान राज्य में वर्ष 1975–77 के दौरान मीसा एवं डी.आई.आर. के अन्तर्गत राज्य के कारागारो मे निरूद्ध राज्य के मूल निवासियों को पेंशन दिये जाने संबंधी दिनांक 12.9.2008 को जारी राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियो को पेंशन नियम 2008 को निम्नांकित संशोधन के साथ एतद् द्वारा बहाल किया जाता है:–

नियम 6: राज्य सरकार द्वारा आवेदन हेतु निर्धारित तिथि 30 अप्रैल, 2014 तक आवेदन करने वाले व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिनांक 1 जनवरी, 2014 से देय होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन संबंधित अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक से ही लाभ देय होगा।

नियम 10: मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियों को पेंशनः– इन नियमों के अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अध्यधीन को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों अनुसार पैंशन देय होगी। जिन व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि (30 अप्रैल, 2014) तक संबंधित जिला कलेक्टर के पास प्राप्त हो जावें, उनमें से जिन व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत होगी वह दिनांक 01 जनवरी, 2014 से देय होगी।

(ग) पेंशन की दरः– पैरा 10 (क) मे वर्णित सभी मीसा एव डी.आई.आर. बन्दियों को एवं दिवंगत मीसा/ डी.आई.आर बन्दियों की पत्नी/पति को रूपये 12,000/–(अक्षरे रूपये बारह हजार मात्र) मासिक पेंशन देय होगी।

(घ) यह और कि किसी मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियों को एवं दिवंगत मीसा/ डी.आई.आर. बन्दियों की पत्नी/पति, पेंशनर को पेंशन के साथ रूपये 1,200/–(अक्षरे रूपये एक हजार दो सौ मात्र) प्रतिमाह चिकित्सा सहायता नकद देय होगी जिसके लिए किसी प्रकार के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

लगातार. 2

नियम 20: इन नियमों के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को संबंधित जिला कलक्टर को आवेदन प्रपत्र दिनांक 30 अप्रेल 2014 तक प्रस्तुत करना होगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय-2) द्वारा उनकी आई.डी. संख्या 101400616 दिनांक 15.2.2014 से प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश श्रीवास्तव)
अति0 मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव,/निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री,राजस्थान।
2. समस्त निजी सचिव, मंत्री / राज्यमंत्रीगण, राजस्थान।
3. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, राजस्थान।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्तगण, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. वित्त (व्यय-2) विभाग।
8. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
9. वरि0 लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
10. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
11. अधीक्षक, केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, जयपुर को आज ही राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

चन्द्रशेखर शर्मा

(चन्द्र शेखर शर्मा)
शासन उप सचिव

03 December 2014
4:46 PM

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प. 3 (3) साप्र/6/2008 पार्ट दिनांक 2.12.14

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य में मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियों को पेंशन नियम, 2008 के तहत पेंशन भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) जिला कलक्टर द्वारा मीसा/डी.आई.आर बन्दियों को पेंशन की स्वीकृति जारी कर उसके साथ पेंशनर के संबंध में सभी वांछित सूचनाओं (संलग्नक–क अनुसार) को प्रमाणित कर निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत किया जायेगा। इसके आधार पर निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पेंशन निदेशालय से पी.पी.ओ. जारी किए जावेंगे।

(2) राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियों को पेंशन नियम, 2008 के अन्तर्गत पात्रता/अपात्रता की जांच कर स्वीकृतियाँ जिला कलक्टर द्वारा ही जारी की जावेंगी। जिला कलक्टर द्वारा किसी अपात्र व्यक्ति को जारी स्वीकृति आदेश के आधार पर पी.पी.ओ. जारी किए जाने के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व जिला कलक्टर का होगा। निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग का पात्रता/अपात्रता के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

(3) मीसा/डी.आई.आर पेंशन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जावेगा तथा वर्ष में दो बार जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

(4) यह पेंशन केवल मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों एवं उनके पश्चात् केवल SPOUSE तक ही सीमित रहेगी, उसके पश्चात् परिवार के अन्य किसी सदस्य को यह पेंशन देय नहीं होगी, इस आशय का स्पष्ट उल्लेख जिला कलक्टर, अपने स्वीकृति आदेश में करेंगे।

(5) निदेशक, पेंशन द्वारा मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों को पी.पी.ओ. जारी करते समय निम्नांकित प्रक्रियागत व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी :–

(i) मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों के पी.पी.ओ. के लिए पृथक कोड उपयोग में लिया जाए।

(ii) उक्त पी.पी.ओ. भिन्न रंग के कागज पर जारी किये जाने की व्यवस्था की जाएगी।

(iii) पी.पी.ओ. में स्पष्ट रूप से मुद्रित किया जावे कि :–

55 a4 letter

(क) इस पी.पी.ओ. के अन्तर्गत पेंशनर एवं उसके पश्चात् उसके SPOUSE के अतिरिक्त परिवार के किसी अन्य सदस्य को यह पेंशन देय नहीं है।

(ख) उक्त पी.पी.ओ. संबंधित जिला कलक्टर के स्वीकृति आदेश के आधार पर जारी किया गया है और पात्रता/अपात्रता के संबंध में पेंशन विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की गई है।

(ग) पेंशन भुगतानकर्त्ता बैंक के साथ सरकार की ओर से पृथक से एम.ओ.यू. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा वित्त (वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात) विभाग के माध्यम से किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों की पेंशन का बैंक स्क्रॉल पृथक से प्रस्तुत करने सहित अन्य आवश्यक बिन्दु जो निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा उचित समझे जावें, का समावेश कर लिया जावे।

यह आदेश वित्त (बजट) विभाग की आई.डी.संख्या 101404207 दिनांक 24.11.2014 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

मीसा/डी.आई.आर पेंशन के लिए पेंशन प्राप्तकर्त्ता की विशिष्टियों के ब्यौरे के प्रपत्र का प्रारूप (संलग्नक-क) संलग्न किया जा रहा है। इस प्रपत्र की तीन प्रतियाँ आवेदक से प्राप्त कर जिला कलक्टर द्वारा फोटो एवं तथ्यों को प्रमाणित करते हुए निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग को स्वीकृति आदेश के साथ पी.पी.ओ. जारी करने हेतु प्रेषित की जाएँगी।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त
4. निदेशक, कोष एवं लेखा वित्त भवन जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग
7. कोषाधिकारी, समस्त

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

56 ad letter

संलग्नक -क

मीसा / डी.आई.आर. पेंशन के लिए विशिष्ठियों के ब्योरे का प्रपत्र (तीन प्रतियों में)

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. जन्म तिथि ....
4. व्यक्तिगत पहचान के चिह्न ....
5. हस्ताक्षर
   1. ....
   2. ....
   3. ....

बांये हाथ के अगूठे की निशानी (यदि आवेदक इतना पढा लिखा न हो कि हस्ताक्षर कर सके (यदि अँगूठा ना हो तो सामने अंकित क्रम में से जो निशान लिया जा सके)

अँगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

6. निवास स्थान का पता ....
7. वर्तमान पता ....
8. कोषागार का नाम जहाँ से पेंशन आहरित की जानी है ....
9. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / ब्रान्च का नाम जिसके माध्यम से पेंशन आहरित की जानी है :-
   (i) बैंक का नाम ....
   (ii) ब्रान्च का नाम ....
   (iii) आई.एफ.एस.सी. कोड ....
10. बैंक खाता संख्या ....
11. पेंशन की राशि ....
12. अनुप्रमाणित रंगीन फोटो

जिला कलेक्टर द्वारा अनुप्रमाणित फोटो

(जिला कलेक्टर)

54 a4 letter

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, राजस्थान जयपुर
दूरभाष : 0141–2741687, 2740694 फेक्स : 2740678
ई–मेल : dir-pen-rj@nic.in

क्रमांक : प.5(282)निपेवि / नियम / 2014 1628 - 1705 H दिनांक : 17.12.2014

जिला कलेक्टर,
.... राजस्थान।

विषय :– मीसा / डी.आई.आर. बन्दियों के पेंशन नियम 2008
प्रसंग :– राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.3(3)सा.प्र. / 6 / 2008 दिनांक 28.02.2014 एवं सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग का समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 02.12.2014

महोदय,

उपरोक्त विषय में ध्यान आकर्षित कर लेख है कि मीसा / डी.आई.आर. बन्दियों की स्वीकृति जारी करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता / अपात्रता की जांच सुनिश्चित कर ले। उक्त कार्यालय आदेश के साथ संलग्नक ''क'' 'मीसा / डी.आई.आर. पेंशन के लिये विशिष्टियां के ब्यौरों का प्रपत्र' में सूचना एवं फोटो अलग–अलग प्रमाणित कर तीन प्रतियों भिजवायी जावे।

यदि पेंशनर का मोबाईल नंबर उपलब्ध हो तो भिजवाया जावे।

भवदीय

(डी० के० मित्तल)
निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, राजस्थान जयपुर
दूरभाष : 0141–2741687, 2740694 फेक्स : 2740678
ई–मेल : dir-pen-rj@nic.in

क्रमांक : प.5(282)निपेवि/नियम/2014 1706-45 H दिनांक : 17.12.2014

समस्त कोषाधिकारी,

....

विषय :– मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों के पेंशन नियम 2008

प्रसंग :– राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.3(3)सा.प्र./6/2008 दिनांक 28.02.2014 एवं सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग का समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 02.12.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा जारी स्वीकृति के आधार पर इस विभाग द्वारा पेंशन भुगतान आदेश जारी कर आपको भिजवाया जावेगा। प्रथम भुगतान के समय पेंशनर की पहचान संबंधी कार्यवाही के साथ पेंशन भुगतान आदेश में उल्लेखित की स्वीकृति भी डीफेस की जावे ताकि गलत/दोहरे भुगतान की संभावना न रहे। भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है इसके लिये बैंकों से एम.ओ.यू. निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा किया जावेगा।

भवदीय

(डी० के० मित्तल)
निदेशक